भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1223
सोमवार, 6 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण,1943 (शक)

वित्तीय सहायता

1223. श्री मलूक नागरः
श्री संजय भाटियाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कोविड-19 के कारण बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या नीतियां तैयार की गई हैं;

(ख) क्या सरकार के पास बेरोजगारी संबंधी डाटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोविड-19 के कारण बेरोजगार हुए लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोविड से प्रभावित हुए व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई नए कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या पेंशन-लाभों के अलावा कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से इकट्ठे किए जाते हैं। वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 6.0%, 5.8% एवं 4.8% है।

हाल ही में सरकार ने अप्रैल, 2021 में अखिल- भारतीय तिमाही संस्थान आधारित सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) प्रारंभ किया है। अप्रैल से जून 2021 की अवधि हेतु तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के प्रथम दौर के परिणाम के अनुसार, अर्थव्यवस्था के नौ चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार में 3.8 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि यह छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) में यथा रिपोर्टित सामूहिक रूप से लिए गए इन नौ क्षेत्रों में कुल 2.37 करोड़ थी जो कि 29 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। 152 प्रतिशत की सर्वाधिक प्रभावी वृद्धि आईटी/बीपीओ क्षेत्र में दर्ज की गई है, जबकि स्वास्थ्य में वृद्धि दर 77 प्रतिशत, शिक्षा में यह 39 प्रतिशत, विनिर्माण में यह 22 प्रतिशत, परिवहन में यह 68 प्रतिशत तथा निर्माण में यह 42 प्रतिशत रही है।

कोविड-19 महामारी ने भारत सहित विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। सरकार ने महामारी से उत्पन्न चुनौतियों एवं खतरों के समाधान के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

सरकार आत्मनिर्भर भारत वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 01 जून, 2020 को प्रारंभ की गई थी ताकि कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को शहरी क्षेत्रों में पटरी लगाने हेतु अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए, कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान किया जा सके।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु वेतन का कुल 24% है। इससे कोविड पश्च अवधि के दौरान ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार की सुरक्षा करने में सहायता मिली है।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था, ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत, बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन के 25**%** से बढ़ा कर 50% कर दिया गया है,जो कि **90** दिनों तक देय है। इसके साथ-साथ लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट है।

सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना।

सरकार ने एमजीएनआरईजीए मजदूरी को 182 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया है जिससे लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है।

स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, नवीकरण और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों तथा उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक एवं धारणीय रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) की सहायता के लिए अपनी फ्लैगशिप योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत कोविड-19 से प्रभावित वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों के नवीन कौशल (अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी)) और अपस्किलिंग (पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल)) के लिए विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किया है। इस विशेष कार्यक्रम में 6 राज्यों नामतः असम, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 जिलों को शामिल किया गया है। एमएसडीई ने जिला प्रशासन के सहयोग से वापसी करने वाले प्रवासियों की कौशल मैपिंग की है और पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण के लिए लाभार्थियों की पहचान की है।

सरकार ने विभिन्न केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं नामतः मजदूरी पर संहिता, 2019, औद्योगिक संबध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यकारी दशाएं संहिता, 2020 में सरलीकृत, समामेलित एवं युक्तिसंगत किया है, जो निवेश को प्रोत्साहन देगा और इस प्रकार और अधिक उद्यमों की स्थापना को उत्प्रेरित करेगा जिससे देश में रोजगार के अवसरों का सृजन हो।

(ङ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कामगारों के आश्रितों को पेंशन और बीमा के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 के तहत योजनाओं के सदस्य थे। उन्हें (विधवा/बच्चे/अनाथ/नामित/अभिभावक) सांविधिक प्रावधानों के अनुसार पेंशन और बीमा लाभ का भुगतान किया गया भले ही मृत्यु कोविड-19 या अन्य किसी कारण से हुई हो।

अप्रैल, 2020 से अक्टूबर, 2021 की अवधि के दौरान आश्रितों (विधवा/बच्चों/अनाथ/नामांकित/अभिभावकों) को पेंशन और बीमा लाभों के रूप में राहत का भुगतान निम्नानुसार किया गया:

1.(क) सदस्य की मृत्यु के कारण पेंशन प्राप्त लाभार्थियों की कुल संख्या - 1,55,886
(ख) ऐसे आश्रितों को भुगतान की गई पेंशन की राशि - 564.72 करोड़ रुपये
2. (क) बीमा लाभार्थियों की कुल संख्या - 72,181
(ख) ऐसे आश्रितों को भुगतान की गई बीमा राशि - 2003.87 करोड़ रुपए

*****